ए.पी.एस.आर.टी.सी. और अन्य

बनाम

बी.एस. डेविड पॉल

फरवरी 1, 2006

[अरिजीत पसायत और आर.वी. रवीन्द्रन, जे.जे.]

श्रम कानून:

औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947-धारा 33-सी(2)-बकाया वेतन-दावा-बहाली के पुरस्कार के मद्देनजर-धारित स्वामित्व: बहाली का पुरस्कार, अपने आप में वापस वेतन का दावा करने का अधिकार प्रदान नहीं करता है।

अपीलकर्ता-निगम के उत्तरदाताओं-कर्मचारियों ने श्रम न्यायालय के समक्ष दावा किया कि उनकी सेवाएं अवैध रूप से समाप्त कर दी गईं। लेबर कोर्ट ने बर्खास्तगी को गलत मानते हुए उनकी बहाली का निर्देश दिया। बहाली के बाद, उत्तरदाताओं ने औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 33-सी (2) के संदर्भ में बकाया वेतन की मांग करते हुए आवेदन दायर किया। श्रम न्यायालय ने बकाया वेतन का भुगतान करने का निर्देश दिया। इसकी पुष्टि उच्च न्यायालय ने रिट आवेदन में की थी। इसलिए वर्तमान अपील करता है।

अपीलों को स्वीकार करते ह्ए, न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया:

उच्च न्यायालय द्वारा पुष्टि किए गए श्रम न्यायालय के आदेश बचाव योग्य नहीं हैं। केवल बहाल होने पर, एक कर्मचारी, पुरस्कार की शतों के तहत, अपने सभी बकाया वेतन और भत्तों का हकदार नहीं होगा, क्योंकि यह पता लगाने के लिए कई कारकों पर विचार करना होगा कि क्या कामगार बकाया मजदूरी का हकदार है और किस हद तक। यह नहीं माना जा सकता है कि पिछला वेतन देने का श्रम न्यायालय का फैसला बहाली की राहत में निहित है या कि बहाली का फैसला खुद ही बकाया वेतन का दावा करने का अधिकार प्रदान करता है। [1005-सी; 1004-एच; 1005-ए-बी]

ए.पी.एसआरटीसी और अन्य बनाम एस. नरसागौड, (2003)2 एससीसी 212; ए.पी. स्टेट रोड परिवहन निगम और अन्य बनाम अब्दुल करीम, [2005] 6 एससीसी 36; राजस्थान राज्य सड़क परिवहन निगम और अन्य बनाम श्याम बिहारी लाल गुप्ता, [2005] 7 एससीसी 406; भारतीय स्टेट बैंक बनाम राम चंद्र दुबे और अन्य, [2001] [1 एससीसी 73 और यूपी राज्य। और अन्य बनाम बृजपाल सिंह [2005] 8 एससीसी 58, पर भरोसा किया।

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार

सिविल अपील संख्या 2956/2000

(रिट अपील संख्या 860/99 में आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के निर्णय और आदेश दिनांक 1.7.1999 से)

साथ

C.A.No.2957/2000 एवं C.A. क्रमांक 2958/2000

जी. रामकृष्ण प्रसाद, के.पी. कइलशनाथ पिल्लई, मो. -अपीलकर्ताओं के लिए वासे खान और अभिजीत सेनगुप्ता। प्रतिवादी की ओर से टी.एन.राव, ए. रमेश और डी. महेश बाबू।

न्यायालय का निर्णय अरिजित पसायत, जे. द्वारा सुनाया गया।

इन अपीलों में समान मुद्दे शामिल हैं और इसलिए इस सामान्य निर्णय द्वारा इनका निपटारा किया जाता है।

आंध्र प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम (संक्षेप में 'निगम') ने उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णयों की वैधता पर सवाल उठाया है, जिसमें कहा गया है कि प्रत्येक अपील में प्रतिवादी बकाया वेतन का हकदार था।

तथ्यात्मक स्थिति का एक संक्षिप्त संदर्भ जो लगभग निर्विवाद है, पर्याप्त होगा: अपीलकर्ता-निगम के कर्मचारी होने का दावा करने वाले उत्तरदाताओं ने श्रम न्यायालय, हैदराबाद (संक्षेप में 'श्रम न्यायालय') के समक्ष दावा किया कि उनकी सेवाएं अवैध रूप से समाप्त कर दी गई थीं। राज्य सरकार द्वारा औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (संक्षेप में 'अधिनियम') के तहत संदर्भ दिया गया था।

अपीलकर्ता-निगम ने यह रुख अपनाया कि वे उसके कर्मचारी नहीं थे और वास्तव में, स्वतंत्र ठेकेदारों के कर्मचारी थे। श्रम न्यायालय ने इस रुख को स्वीकार नहीं किया और माना कि समाप्ति ख़राब थी और संबंधित आवेदक बहाली के हकदार थे। इसमें कोई विवाद नहीं है कि अपीलकर्ता-निगम ने उत्तरदाताओं को बहाल कर दिया है। इसके बाद, उत्तरदाताओं ने श्रम न्यायालय के समक्ष आवेदन दायर किया जिसमें कहा गया कि वे उस अवधि के लिए बकाया वेतन के हकदार थे जब वे रोजगार से बाहर थे और वे अधिनियम की धारा 33-सी (2) के संदर्भ में बकाया वेतन का भ्गतान करने के हकदार थे।

निगम ने इस आधार पर दावे का विरोध किया कि पिछले वेतन के भुगतान के लिए कोई निर्देश नहीं था और इसलिए, धारा 33-सी(2) का कोई उपयोग नहीं था। श्रम न्यायालय ने इस रुख को स्वीकार नहीं किया और भुगतान का निर्देश दिया। इस फैसले को उच्च न्यायालय के समक्ष चुनौती दी गई, जिसने रिट आवेदन को खारिज कर दिया।

अपीलकर्ता के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि जब श्रम न्यायालय द्वारा दिया गया एकमात्र निर्देश बहाली का था, तो किसी भी बकाया वेतन के भुगतान का कोई सवाल ही नहीं था और किसी भी स्थिति में धारा 33-सी (2) का कोई उपयोग नहीं था।

दूसरी ओर, उत्तरदाताओं के विद्वान वकील ने कहा कि जब बहाली का निर्देश दिया गया था, तो पिछला वेतन स्वाभाविक परिणाम था।

बिंदु पर कानून का सिद्धांत अब रेज इंटीग्रा नहीं रह गया है। ए.पी.एस.आर.टी.सी और अन्य बनाम नर्सागौड, [2003] 2 एससीसी 212 में इस न्यायालय ने पृष्ठ 215 पर फैसले के पैराग्राफ 9 में कानून के सिद्धांत को संक्षेप में स्पष्ट किया:

"हम इस प्रकार की गई प्रस्तुति में योग्यता पाते हैं। सेवा की निरंतरता के लिए एक सरल निर्देश के साथ बहाली के आदेश और एक ऐसे निर्देश के बीच अंतर है जहां बहाली एक विशिष्ट निर्देश के साथ होती है कि कर्मचारी सभी परिणामी लाभों का हकदार होगा, जो अनिवार्य रूप से बहाली से आता है या एक विशिष्ट निर्देश के साथ अता है कि कर्मचारी अनुपस्थिति की

अविध के दौरान अर्जित वेतन वृद्धि के लाभ का हकदार होगा।

हमारी राय में, इयूटी से अनिधकृत अनुपस्थिति का दोषी ठहराए जाने के बाद कर्मचारी उस संबंध में एक विशिष्ट दिशा के अभाव में अनिधकृत अनुपस्थिति की अविध के दौरान अर्जित अनुमानित वेतन वृद्धि के लाभ का दावा नहीं कर सकता है, केवल इसलिए कि उन्हें सेवा में निरंतरता के लाभ के साथ बहाल करने का निर्देश दिया गया है।"

उपरोक्त स्थिति को एपी राज्य सड़क परिवहन निगम और अन्य बनाम अब्दुल करीम, (2005] 6 एससीसी 36 और राजस्थान राज्य सड़क परिवहन निगम और अन्य बनाम श्याम बिहारी लाल गुप्ता, [2005] 7 एससीसी 406 में दोहराया गया था।

भारतीय स्टेट बैंक बनाम राम चंद्र दुबे और अन्य, (2001) 1 एससीसी 73 के मामले में, इस न्यायालय ने निम्नान्सार कहा:

"7. जब किसी औद्योगिक न्यायाधिकरण को न केवल इस प्रश्न पर निर्णय लेने के लिए संदर्भित किया जाता है कि किसी कर्मचारी की बर्खास्तगी उचित है या नहीं, बल्कि उचित राहत देने के लिए भी, इसमें इस सवाल की जांच शामिल होगी कि क्या बहाली पूर्ण या आंशिक बकाया वेतन के साथ होनी चाहिए या नहीं। ऐसा प्रश्न न्यायाधिकरण के समक्ष प्रस्त्त किये जाने वाले साक्ष्यों पर निर्भर तथ्यात्मक है। यदि रोजगार की समाप्ति के बाद, कामगार को कहीं और लाभप्रद रूप से नियोजित किया जाता है, तो यह तय करने में विचार किए जाने वाले कारकों में से एक है कि बहाली पूर्ण वेतन के साथ या रोजगार की निरंतरता के साथ होनी चाहिए या नहीं। ऐसे प्रश्नों की उचित जांच केवल सन्दर्भ में ही की जा सकती है। जब अधिनियम की धारा 10 के तहत एक संदर्भ दिया जाता है, तो उससे उत्पन्न होने वाले सभी आकस्मिक प्रश्न ट्रिब्यूनल द्वारा निर्धारित किए जा सकते हैं और इस विशेष मामले में, श्रमिकों को दी जाने वाली राहत की प्रकृति के बारे में एक विशिष्ट प्रश्न ट्रिब्यूनल को भेजा गया है।"

8. दोनों पक्षों द्वारा संदर्भित निर्णयों में प्रतिपादित सिद्धांतों को निम्नान्सार संक्षेपित किया जा सकता है:

"जब भी कोई कामगार अपने नियोक्ता से कोई धन या कोई लाभ प्राप्त करने का हकदार होता है जो धन के रूप में गणना करने में सक्षम हो और जिसे वह अपने नियोक्ता से प्राप्त करने का हकदार है और इस तरह के लाभ से वंचित है तो वह अधिनियम की धारा 33-सी (2) के तहत श्रम न्यायालय का दरवाजा खटखटा सकता है। अधिनियम की धारा 33-सी(2) के तहत लागू किया जाने वाला लाभ आवश्यक रूप से पहले से मौजूद लाभ है या पहले से मौजूद अधिकार से प्राप्त होने वाला लाभ है। एक ओर पहले से मौजूद अधिकार या 'लाभ' और दूसरी ओर उचित माने जाने वाले अधिकार या लाभ के बीच अंतर महत्वपूर्ण है। पहला अधिनियम की धारा 33-सी(2) के तहत शक्तियों का प्रयोग करने वाले श्रम न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में आता है जबकि दूसरा नहीं आता है। वर्तमान मामले में पुरस्कार से यह स्पष्ट नहीं किया जा सकता है कि ऐसा अधिकार या लाभ कामगार को प्राप्त ह्आ है क्योंकि दी गई राहत का विशिष्ट प्रश्न पिछली मजदूरी के बारे में कुछ भी बताए बिना केवल बहाली तक ही सीमित है।

इसलिए उस राहत को अस्वीकार कर दिया गया माना जाना चाहिए, क्योंकि जो दावा किया गया है लेकिन प्रदान नहीं किया गया है उसे न्यायिक या अर्ध न्यायिक कार्यवाही में अस्वीकार कर दिया गया है। इसके अलावा, जब बकाया वेतन के दावे के निर्णय के संबंध में कोई प्रश्न उठता है, तो सभी प्रासंगिक परिस्थितियों पर विवेकपूर्ण तरीके से विचार किया जाना चाहिए। इसलिए, उचित मंच जहां बकाया वेतन के ऐसे प्रश्न पर निर्णय लिया जा सकता है, केवल वही कार्यवाही कर सकता है जिसे अधिनियम की धारा 10 के तहत एक संदर्भ दिया गया हो। यह कहना कि केवल बहाली पर, एक कर्मचारी प्रस्कार की शर्तों के तहत, अपने सभी बकाया वेतन और भत्ते का हकदार होगा, गलत होगा, क्योंकि यह पता लगाने के लिए कि क्या कामगार बकाया मजद्री का हकदार है और किस हद तक, कई कारकों पर विचार करना होगा, जैसा कि पहले कहा गया है। इसलिए, हमारा विचार है कि उच्च न्यायालय को यह नहीं मानना चाहिए कि बकाया वेतन देने का श्रम न्यायालय का फैसला बहाली की राहत में निहित है या

कि बहाली का फैसला खुद ही बकाया वेतन का दावा करने का अधिकार प्रदान करता है।"

इसी स्थिति को हाल ही में यूपी राज्य और अन्य बनाम बृजपाल सिंह, [2005] 8 एससीसी 58 में तीन-न्यायाधीशों की बेंच द्वारा दोहराया गया था।

उच्च न्यायालय द्वारा पुष्टि किए गए श्रम न्यायालय के आदेश अक्षम्य हैं, रद्द किए जाने योग्य हैं, जिसका हम निर्देश देते हैं।

अपीलें स्वीकार की जाती हैं लेकिन लागत के संबंध में किसी आदेश के बिना।

के.के.टी.

अपील की अनुमति.

यह अनुवाद आर्टिफ़िश्यल इंटेलिजेंस टूल "सुवास" के जरिये अनुवादक की सहायता से किया गया है ।

अस्वीकरण - इस निर्णय का अनुवाद स्थानीय भाषा में किया जा रहा है, एवं इसका प्रयोग केवल पक्षकार इसको समझने के लिए उनकी भाषा में कर सकेंगे एवं यह किसी अन्य प्रयोजन में काम नहीं ली जायेगी। सभी आधिकारिक एवं व्यवहारिक उद्देश्यों के लिए उक्त निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही विश्वसनीय माना जायेगा एवं निष्पादन एवं क्रियान्वयन में भी उसी को उपयोग में लिया जायेगा।